(ख) कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है और उन्हें निपटाया गया है ;

(ग) उस पूछताछ कार्यालय में लम्बित पड़ी शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के चोरी में शामिल होने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो क्या इस प्रकार की शिकायतें पुलिस स्टेशनों पर भी दर्ज हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) इस अवधि के दौरान उन कर्मचारियों के विरुद्ध जो उक्त अवधि के दौरान इस क्षेत्र में अनुरक्षण के कार्य में लगे हुए थे, के विरुद्ध सामान्य प्रकृति की तीन शिकायतें प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग) इनमें से दो शिकायतें जांच करने पर प्रमाणित नहीं हो सकीं, इसलिए शिकायतों में बताये गए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। संबंधित अधीक्षक इंजीनियर को अन्य शिकायत की जांच करने के लिए कहा गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, स०-4 डी०आई०जैड० एरिया के पूछताछ कार्यालय के कर्मचारी

1309. श्री संतोष बागड़ोदिया : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स.-4 डी.आई.जैड. एरिया के पूछताछ कार्यालय में कार्यरत विभिन्न कार्यों से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उपर्युक्त सेवा केन्द्र द्वारा कितने सरकारी मकानों की देखभाल रख-रखाव किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त विभाग में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध होते हुए भी सरकारी कर्मचारियों को शिकायतें लिखकर देने के लिए बाध्य किया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकारी मकानों से संबंधित शिकायतों पर कई दिनों तक कार्यवाही नहीं की जाती है ;

(ङ) सामान्य शिकायतों के निपटान के लिए क्या समय सीमा तय की गई है; और

(च) क्या यह भी सच है कि उक्त पूछताछ कार्यालय पर शिकायत लिखने वाले कर्मचारी हमेशा अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं होते हैं और वे समय के पाबंद भी नहीं हैं तथा उनका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय, सैक्टर-4, डी.आई.जैड. क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ख) इस सेवा केन्द्र द्वारा की जा रही देख-रेख अनुरक्षण में क्वार्टरों की संख्या 1392 है।

(ग) जनवरी, 1990 से पूर्व इस सेवा केन्द्र में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। चूंकि जनवरी, 1990 में दूरभाष लग गया है, इसलिए शिकायतें दूरभाष से भी दर्ज की जाती हैं।

(घ) और (ङ) शिकायतों को दूर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, छोटी-मोटी शिकायतों जैसे वासर बदलना, बिजली का यूज, आदि को उसी दिन निपटाया जाता है । प्लास्टर, दरवाजों खिड़कियों आदि की मरम्मत से संबंधित शिकायतों पर कुछ अधिक समय लगता है ।

(च) जी, नहीं ।

विवरण

सहायक इंजीनियर (सिविल)	1
कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल)	2
सहायक इंजीनियर (विद्युत)	1
कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत)	2
प्लम्बर (एम आर)	2
मिस्त्री (एम आर)	1
बढ़ई (एम आर)	2
सीवर मैन (एम आर)	2
बेलदार (एम आर)	25
पूछताछ लिपिक (एम आर)	1
बिजली कर्मचारी	11

Supply of drinking water in villages of Uttar Pradesh

1310. SHRI SHANTI TYAGI**:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the number of villages in Uttar Pradesh which are still without proper drinking water facilities as on date;

(b) the details of the programmes to cover the above villages for providing drinking water;

(c) the Central assistance earmarked to that State under A. R. W. S. P. during the current plan period; and

(d) by when these villages are likely to be provided with drinking water facility?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) There Were 1968 Problem Villages (PVs) in Uttar Pradesh without proper drinking water facilities as on 28. 02. 1990.

(b) to (d) Out of the above 1968 PVs, 1213 are likely to be: covered with safe drinking water facilities by 31. 03. 1990 and the remaining 755 PVs. in the hilly districts are likely to spill over to the eighth plan. These villages will be covered in the first two years of the eighth plan under the State sector Minimum Needs Programme (MNP), Centrally Sponsored ARWSP and Hill Area Development Programme.

During the: current Seventh Plan period, an amount of Rs. 198. 19 crores has been released to the State Government of Uttar Pradesh.

Discrimination in the allotment of Govt, accommodation

1311. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) whether the dependents of casual labourers employed on compassionate grounds are discriminated in the matter of allotment of Government accommodation; and

(b) if so, the ireasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) As per the Allotment Rules the casual labourers are not eligible for allotment of general pool accommodation. Therefore, there is no question of any discrimination against the dependents of the casual labourers employed on compassionate grounds.